



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

राजिनी भवन, 14-अग्रोक मार्ग लखनऊ

सं० 646-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2009-07 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 22 जून, 2009

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.01.2009 से लागू करें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 176-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/08-17-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2009 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जब से देय है।	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2009	मूल वेतन का 22 प्रतिशत

2. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु " मूल वेतन " का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन तथा अनुमन्य ब्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियमित वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन / भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता / वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

(क्रमशः - 2)

4. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2009 एवं अद्यतन भुगतान / अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाएगी :-
 - I- दिनांक 01.01.2009 से 31.03.2009 तक देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि, अधिकारी / कर्मचारी को दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण के आदेश सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-20 संपादित आदेश सं० 445-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दिनांक 29.4.09 एवं आदेश सं० 782-पी०एण्डआर०-28/पाकालि/2009-60-पी०एण्डआर०/98 दिनांक 18 मई, 2009 के अन्तर्गत अवशेषों के भुगतान हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
 - II- दिनांक 01.04.2009 से 31.05.2009 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी / कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में / अंशदायी भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि भविष्य निधि खाते / अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2009 से जमा मानी जायेगी और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मई, 2010 तक संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।
 - III- जिन अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी / कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2010 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको दिनांक 01.04.2009 से 31.05.2009 तक देय महंगाई भत्ते की बकाए की धनराशि का भुगतान वर्तमान में ही नकद किया जाएगा।

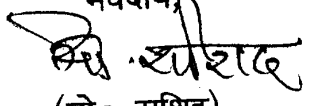
(कमरा: - 3)



(3)

IV- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जून, 2009 से (जून 2009 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2009 को देय) नकद किया जायेगा।

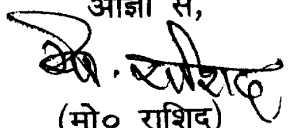
7. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबंधक (लेखा/लागत) द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(मो० राशिद)
उप सचिव (काविनी)

सं० 646 - (1) काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकप्रति / 2009 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबंधक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
9. विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
13. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मो० राशिद)
उप सचिव (काविनी)
